न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2020/89

स्टेट ऑफ राज0 सरकार जरिये तहसीलदार तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

——अपीलान्ट

बनाम

1. बाबू उर्फ कालू पुत्र स्व0 औंकार ।
2. धनराज पुत्र स्व0 मूलचन्द ।
3. रामकुंवार पुत्र स्व0 मूलचन्द ।
4. सीता बाई पुत्री स्व0 मूलचन्द ।
5. कमलेश मृतक जरिय कायममुकामान :–
   5/1. राहुल नाबालिग पुत्र
   5/2. ज्योति नाबालिग पुत्री जरिये वली पिता श्री पंकज कुमार ।
6. रामनाथी बाई बेवा मूलचन्द जाति बलाई निवासीगण ग्राम नान्ता तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
7. मीरा पत्नी छीतर लाल जाति मेघवाल निवासी ग्राम नान्ता तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
8. जगनी पत्नी गुलाब जाति बैरवा निवासी प्रेमनगर द्वितीय कोटा ।
9. हीरालाल आर्य पुत्र रामगोपाल जाति खटीक निवासी 811 कंचन जंगा अपार्टमेंट, बारां रोड बोरखेडा कोटा

——रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :– 1. श्री राजेन्द्र मालवीय, पैरोकार सरकार (राजकीय अभिभाषक) अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री घनश्याम नागर, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट कम 07 की ओर से ।
3. श्री हेमेन्द्र सिंह आसावत, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट कम 1 व 3 की ओर से ।

निर्णय **दिनांकः 18.01.2023**

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.05.2016 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण रेस्पोडेन्ट ने परीक्षण न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88 एवं 89 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम नान्ता तहसील लाडपुरा में खाता संख्या नया 350 में खसरा नम्बर 50 की रकबा 1.27 हैक्टर, खसरा नम्बर 150 की रकबा 2.05 हैक्टर, खसरा नम्बर 151 की रकबा 0.48 हैक्टर, खसरा नम्बर 163 की रकबा 0.91 हैक्टर, खसरा नम्बर 1182 रकबा 0.80 हैक्टर कुल 05 किता की कुल रकबा 5.31 हैक्टर भूमि स्थित है । उक्त भूमि वादीगण बाबूलाल, भरोसी बाई, धनराज, रामकुमार, सीताबाई, कमलेश, रामनाथी बाई के संयुक्त खाते व कब्जे काश्त की भूमि है । वादीगण ने उक्त आराजी के सम्बन्ध में हर प्रकार के कार्य व कार्यवाही करने हेतु अपनी ओर से श्री रघुनाथ पुत्र रामलाल मेघवाल को मुख्तार आम नियुक्त किया हुआ है जिसका एक मुख्तारनामा आम दिनांक 29.11.2007 को तहरीर किया हुआ है । उक्त आराजी खसरा नम्बर 19 रकबा 09 बीघा 02 बिस्वा, खसरा नम्बर 127 रकबा 14 बीघा 08 बिस्वा, खसरा नम्बर 1504/337 रकबा 03 बीघा 14 बिस्वा भूमि पूर्व में श्री नाथू बेटा धूल्या माफी चाकरी माफीदार के खातेदारी में दर्ज थी । तब उक्त भूमि के नये नम्बर गत सेटलमेंट में खसरा नम्बर 11 रकबा 09 बीघा 02 बिस्वा, खसरा नम्बर 61 रकबा 14 बीघा 08 बिस्वा, खसरा नम्बर 419 रकबा 03 बीघा 14 बिस्वा माफी चाकरी माफीदार नाथू पुत्र धूल्या बलाई के खातेदारी में दर्ज थी, किन्तु हाल सेटलमेंट में उक्त आराजी के नये खसरा नम्बर 50 रकबा 1.27 हैक्टर, खसरा नम्बर 150 रकबा 2.05 हैक्टर, खसरा नम्बर 151 रकबा 0.48 हैक्टर, खसरा नम्बर 149 रकबा 0.14 हैक्टर, खसरा नम्बर 1192 रकबा 0.80 हैक्टर गलती से खातेदारी के स्थान पर वादीगण के गैर खाते में दर्ज कर दी गई । जबकि खातेदार को किसी प्रकार से गैर खातेदार कानूनन दर्ज नहीं किया जा सकता और सेटलमेंट द्वारा की गई कार्यवाही प्रारम्भ से ही अधिकार क्षेत्र से परे होने से प्रभावशून्य है । सेटलमेंट विभाग को बिना किसी सक्षम आदेश के राजस्व रिकॉर्ड में किसी प्रकार का परिवर्तन या रद्दोबदल करने का अधिकार नहीं है ।

3. अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर वादीगण के पक्ष में इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी जो कि माफीदार वादीगण के दादा नाथू पुत्र धूल्या के बाद वादीगण के पिता ओंकार के नाम दर्ज होरक वादीगण के नाम वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है का वादीगण को खातेदार घोषित किया जावे तथा इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती की जावे ।

4. प्रतिवादी कम 1 की ओर से तहसीलदार लाडपुरा द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व अन्य नियमों/निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में अग्रिम आदेश पारित किया जावे ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 30.05.2018 के द्वारा वाद वादीगण स्वीकार कर डिक्री कर दिया ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.05.2018 से व्यथित होकर प्रतिवादी अपीलान्ट की ओर से तहसीलदार लाडपुरा ने न्यायालय हाजा अपील अपीलान्ट प्रस्तुत कर कथन किया कि वादग्रस्त आराजी नान्ता तहसील लाडपुरा में स्थित है जो पूर्व नगर परिषद बाद नगर निगम क्षेत्र के अन्तर्गत आता है । अतः उक्त भूमि नगर निगम क्षेत्र में स्थित होने से उक्त भूमि पर खातेदारी अधिकार प्रदान करने हेतु अधीनस्थ

न्यायालय सक्षम नहीं है । इसके उपरान्त भी परीक्षण न्यायालय ने वादीगण के पक्ष में कैम्प में सिमल रखकर निर्णय एवं डिक्री पारित की है जो त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.05.2016 निरस्त फरमाया जावे ।

7. अपीलान्ट ने अपील के साथ भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 05 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि उक्त निर्णय एवं डिक्री की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 20.07.2020 को राजस्व रिकॉर्ड देखने पर तथा जानकारी करने पर हुई जिस पर दिनांक 21.07.2020 को नकल प्राप्त करने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया और नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

8. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । परीक्षण न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

9. विद्वान् अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने विभिन्न न्यायिक दृष्टांतों का उल्लेख करते हुए बहस प्रारम्भ करते हुए कथन किया कि सर्वप्रथम मियाद के बिन्दु पर निर्णय होना चाहिए । यदि मियाद के बिन्दु पर ही अपील अस्वीकार होती है तो आगे और गुणावगुण पर विवेचन व निर्णय की आवश्यकता ही नहीं रहेगी । हालांकि गुणावगुण पर भी अपील स्वीकार योग्य नहीं है विद्वान् अभिभाषक अपीलान्ट ने भी सर्वप्रथम मियाद के बिन्दु पर बहस करने में कोई आपत्ति प्रकट नहीं की ।

10. अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद में प्रस्तुत दस्तावेज को भली–भांति देखे बिना उक्त दस्तावेजात को साक्ष्य में ग्राह्य करने में कानूनी त्रुटि कर निर्णय एवं डिक्री पारित किया है । राजपक्ष को जिरह करने का मौका प्रदान किये बिना ही निर्णय पारित करने में त्रुटि की है । वादग्रस्त आराजी नान्ता तहसील लाडपुरा में स्थित है जो पूर्व नगर परिषद बाद नगर निगम क्षेत्र के अन्तर्गत आता है । अतः उक्त भूमि नगर निगम क्षेत्र में स्थित होने से उक्त भूमि पर खातेदारी अधिकार प्रदान करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय सक्षम नहीं है । वादग्रस्त आराजी सरकारी भूमि है जो पूर्व में गॉव की सफाई या खेल भराई करने वाले व्यक्ति को मात्र पेट पालन करने के लिये दी जाती है । इसी रूप से उक्त आराजी पूर्व में मात्र धूल्या के खाते दर्ज थी तथा उसी इन्द्राज का फायदा उठाते हुए बिना सेवा चाकरी किये ही उक्त भूमि को उसके वारिसान अपने नाम दर्ज करवाते रहे जो हर प्रकार अवैध रूप से दर्ज होती रही । जबकि उक्त सेवा चाकरी समाप्त होते ही सरकार के नाम सम्पूर्ण आराजी दर्ज खाता होनी चाहिए । अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य को नजरअन्दाज करते हुए उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की है । उपखण्ड अधिकारी को किसी नगरपालिका, नगर परिषद, नगर निगम क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली भूमि में कानूनन किसी भी व्यक्ति को किसी आराजी पर खातेदारी अधिकार प्रदान करने का अधिकार नहीं है । वादीगण द्वारा उक्त निर्णय एवं डिक्री की पालना में उक्त आराजी को अपने नाम खातेदारी में दर्ज करवाकर उक्त आराजी को रेस्पोडेन्ट कम 07 लगायत 09 को विक्रय कर दी है इसलिए उक्त अपील में उन्हें भी

पक्षकार बनाया गया है । लिमिटेशन एक्ट की धारा 05 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर विलम्ब की अवधि को माफ किया जाए ।

11. रेस्पोडेन्ट के विद्वान् अभिभाषक ने विभिन्न न्यायिक दृष्टांत पेश करते हुए कथन किया कि माननीय न्यायालय के समक्ष अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट दोनों पक्षकारों को समान व्यवहार व समान दृष्टि से तथ्यों का अवलोकन कर निर्णय करना चाहिए । प्रस्तुत अपील गंभीर रूप से अवधि बाधित है । अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत लिमिटेशन एक्ट की धारा 05 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर सर्वप्रथम बहस होकर उसका निर्णय करना होगा उसके पश्चात् ही गुणावगुण पर निर्णय किया जाना उचित होगा । यदि मियाद के बिन्दु पर ही प्रार्थना पत्र अस्वीकार हो जाता है तो गुणावगुण पर विवेचन व विश्लेषण का कोई औचित्य नहीं रहेगा । अपीलान्ट को माननीय न्यायालय द्वारा केवल इसलिए उदारता एवं पक्षपातपूर्ण ढंग से नहीं देखना चाहिए कि वह सरकार की ओर से अपील प्रस्तुत कर रहा है । माननीय न्यायालय के समक्ष दोनों पक्षकार समान हैं तथा तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए विधि की मंशा अनुसार मियाद अधिनियम के प्रकाश में सर्वप्रथम लिमिटेशन के बिन्दु पर निर्णय किया जाए । सीपीसी के आदेश 41 व अन्य प्रावधानों से स्पष्ट है कि मियाद के बिन्दु पर निर्णय होने के पश्चात् ही प्रकरण में आगे निर्णय होना चाहिए । विधि के समक्ष सभी पक्षकार समान हैं तथा माननीय न्यायालय को भी विधि अनुसार समानता के आधार पर उक्त प्रकरण को देखना चाहिए । प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय ने उभयपक्ष को सुनवाई के पश्चात् विधि अनुसार निर्णय दिनांक 30.06.2016 को किया गया । निर्णय की जानकारी प्रारम्भ से अपीलान्ट को थी । प्रकरण में अपीलान्ट ने अपील दिनांक 23.07.2020 को पेश की जो 04 वर्ष से भी अधिक विलम्ब से पेश की गई है । मेरे द्वारा दिनांक 24.06.2016 को प्रकरण में निर्णय के तुरन्त पश्चात् केवियट प्रस्तुत की गई । केवियट प्रस्तुत करते समय अपीलान्ट को रजिस्टर्ड डाक से सम्मन प्रेषित किये गये जिससे स्पष्ट है कि प्रकरण में निर्णय एवं रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत केवियट प्रार्थना पत्र की प्रारम्भ से ही जानकारी अपीलान्ट को थी । इस सम्बन्ध में विद्वान् अभिभाषक रेस्पोडेन्ट द्वारा न्यायालय हाजा में प्रस्तुत केवियट की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की । अपीलान्ट के स्तर पर प्रकरण में निर्णय उपरान्त निर्णय की पालना में नामान्तरकरण खोला गया । अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत मियाद अधिनियम की धारा 05 का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं है । मियाद अधिनियम धारा 05 का प्रार्थना पत्र में अपीलान्ट इतनी लम्बी देरी का कोई पर्याप्त व संतोषजनक कारण बताने में असफल रहे । विधि की मंशा स्पष्ट है कि प्रत्येक दिवस के विलम्ब का कारण अपीलान्ट को सिद्ध करना होगा । धारा 05 के प्रार्थना पत्र में उल्लेखित प्रकरण में दिनांक 20.07.2020 को जानकारी होना अपीलान्ट का मनगंढत कथन है, अपीलान्ट को निर्णय के दिन से इसकी जानकारी थी । अपीलान्ट का प्रकरण में गुणावगुण पर भी कोई हित नहीं है क्योंकि हमने केवल राजस्व रिकॉर्ड में पूर्व की भांति रिकॉर्ड में खातेदार दर्ज करवाने का अनुतोष प्राप्त किया है । अपीलान्ट द्वारा अपील मीमो के आधार पर कहे गये कथनों का कोई दस्तावेजी एवं विधिक आधार नहीं है । अपीलान्ट ने स्वयं के पक्ष में या अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध कोई ठोस दस्तावेज एवं साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये हैं । केवल मौखिक कथन से अपील स्वीकार नहीं की जा सकती । यह भूमि कभी भी अपीलान्ट की नहीं रही । गुणावगुण के आधार पर भी अपीलान्ट का विवादित भूमि में कोई हक व स्वतव निहित नहीं है । राजस्व दस्तावेजों से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी प्रारम्भ से हमारे कब्जे काश्त में रही तथा राजस्व रिकॉर्ड में हमे खातेदार दर्ज किया गया । अतः अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 मियाद

अधिनियम अस्वीकार कर खारिज किया जावे । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में आरआरडी 2002 पेज 26, डीएनजे 2014 (3) पेज 1132, आरआरटी 2013 (2) पेज 887, आरआरटी 2014 (2) (एससी) पेज 1331, डीएनजे 2016 (1) पेज 201, आरबीजे 2019 पेज 20, आरबीजे 2010 पेज 289 पेश किये ।

12. हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं विद्वान् अभिभाषक रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों को ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ संलग्न दस्तावेजात में नकल जमाबन्दी संवत् 2067 से 2070 प्रदर्श– 1, नकल जमाबन्दी भू–प्रबन्ध विभाग संवत् 2016 से 2024 प्रदर्श– 2, नकल मिलान क्षेत्रफल भू–प्रबन्ध विभाग संवत् 2038 से 2057 प्रदर्श–3, 80 सीपीसी का नोटिस प्रदर्श–4, मुख्तारआम दिनांक 29.11.2007 प्रदर्श– 5ए तथा अन्य राजस्व दस्तावेज संलग्न हैं । सर्वप्रथम प्रकरण में सीपीसी के प्रावधान अनुसार मियाद के बिन्दु पर निर्णय किया जाना उचित होगा । मियाद के बिन्दु पर आदेश 41 नियम 3 क (2) के अनुसार अपील में निर्णय पारित करने से पूर्व परिसीमा अधिनियम की धारा 05 के प्रार्थना पत्र पर सकारण आदेश पारित करना विधिक दृष्टि से उचित है । विद्वान् अभिभाषक अपीलान्ट ने भी इस पर कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की । परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 05 के तहत अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस सुनी गई तथा तथ्यों का अवलोकन करते हुए न्यायिक दृष्टांतों का अवलोकन किया गया । प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 30.05.2016 को निर्णय व डिक्री पारित की गई है । प्रकरण में दिनांक 23.07.2020 को अपीलान्ट द्वारा न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत की गई । प्रकरण में 1514 दिवस (04 वर्ष से अधिक) के विलम्ब से अपील प्रस्तुत की गई है । राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अनुसार न्यायालय उपखण्ड अधिकारी से न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी में निर्णय, डिक्री की अपील60 दिवस में किये जाने का प्रावधान है । राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 228 इस प्रकार है– अपीलों की परिसीमा अवधि – (1) जिस डिक्री अथवा आज्ञा के विरूद्ध आपत्ति हो उसकी तारीख से 30 दिन की अवधि समाप्त हो जाने के बाद कोई अपील जिला कलक्टर को नहीं होगी। (2) जिस डिक्री या आज्ञा के विरूद्ध आपत्ति हो उसकी तारीख से 60 दिन समाप्त हो जाने के बाद उसकी कोई अपील (राजस्व अपील प्राधिकारी) को नहीं होगी । (3) जिस डिक्री या आज्ञा के विरूद्ध आपत्ति हो, उसकी तारीख से 90 दिन समाप्त हो जाने के बाद उसकी कोई अपील बोर्ड में नहीं होगी ।" इसी प्रकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की तृतीय अनुसूची अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश/डिक्री की राजस्व अपील प्राधिकारी के न्यायालय में अपील की अवधि 60 दिवस निर्धारित की गई है । राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के उपर्युक्त प्रावधानों से स्पष्ट है कि प्रस्तुत अपील निर्णय पारित होने के 60 दिवस में की जानी चाहिए थी । परिसीमा अधिनियम, 1963 के तहत अपीलान्ट ने परिसीमा अधिनियम की धारा 05 के तहत विलम्ब माफी हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है । धारा 05 के प्रार्थना पत्र में अपीलान्ट ने प्रकरण की जानकारी दिनांक 20.07.2020 को आने का कथन अंकित किया है । क्या अपीलान्ट को वस्तुतः प्रकरण की जानकारी दिनांक 20.07.2020 को ही हुई ? इसका परीक्षण किया जाना आवश्यक है । परिसीमा अधिनियम की धारा 05 इस प्रकार है –"विहित काल का कतिपय दशाओं में विस्तारण– कोई भी अपील या कोई भी आवेदन जो सिविल प्रकिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के आदेश 21 के उपबन्धों में से किसी के अधीन के आवेदन से भिन्न हो, विहित काल के पश्चात् ग्रहण

किया जा सकेगा यदि अपीलार्थी या आवेदक, न्यायालय का यह समाधान कर दें कि उसके पास ऐसे काल के भीतर अपील या आवेदन न करने के लिए पर्याप्त हेतुक था ।" धारा 05 के उपर्युक्त प्रावधान से स्पष्ट है कि किसी भी प्रकरण में विलम्ब को क्षम्य करने की मुख्य शर्त 'विलम्ब के लिए पर्याप्त कारण' का विद्यमान होना है । 'पर्याप्त कारण' की कसौटी यह है कि विलम्ब का कारण ऐसा हो जो पक्षकार के नियंत्रण से बाहर रहा हो । प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्ट ने धारा 05 के तहत जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है उसमें ऐसा कोई तथ्य प्रस्तुत नहीं किया है जिससे इतनी बडी देरी को क्षम्य करने का पर्याप्त कारण दर्शाया गया हो । अपीलान्ट ने तहसीलदार लाडपुरा की हैसियत से अंकित किया है कि प्रश्नगत प्रकरण सर्वप्रथम उनकी जानकारी में दिनांक 20.07.2020 को राजस्व रिकॉर्ड देखने पर तथा जानकारी करने पर संज्ञान में आया । क्या केस प्रभारी के नाते तहसीलदार लाडपुरा के संज्ञान में प्रकरण सर्वप्रथम दिनांक 20.07.2020 को आया ? अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 25.05.2016 से स्पष्ट है कि उभयपक्ष की बहस सुनकर पत्रावली में दिनांक 30.05.2016 की आगामी तारीख निश्चित की गई तथा दिनांक 30.05.2016 को आदेश सुनाया गया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में जरिये राजकीय अभिभाषक लिखिक बहस भी संलग्न है, जो दिनांक 25.05.2016 को प्रस्तुत की गई है । जिससे स्प्ष्ट है कि अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक को भी इसकी जानकारी थी । लिखित बहस दिनांक 25.05.2016 में भी विद्वान् अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा वाद के खण्डन में कोई महत्वपूर्ण तर्क एवं दस्तावेज इंगित नहीं किये । दिनांक 30.05.2016 के निर्णय में स्पष्ट अंकन है कि, "तहसीलदार लाडपुरा तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत करे ।" इसी प्रकार प्रकरण में डिक्री दिनांक 30.05.2016 में अंकित है कि, "तहसीलदार लाडपुरा तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत करे ।" अतः यह स्पष्ट है कि प्रकरण प्रभारी के रूप में तहसीलदार लाडपुरा को निर्णय होने पर उसकी जानकारी तभी हो गई थी । प्रकरण में दिनांक 24.06.2016 को रेस्पोडेन्टगण की ओर से उनके अभिभाषक श्री घनश्याम नागर द्वारा केवियट प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया । केवियट प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर नियमानुसार प्रकियागत पालना में अपीलान्ट को केवियट की सूचना हेतु रजिस्टर्ड डाक से सूचना दी गई । अतः स्पष्ट है कि प्रकरण में केवियट की सूचना भी अपीलान्ट को तभी हो गई थी । प्रकरण में निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.05.2016 अनुसार नामान्तरकरण संख्या 1056 दिनांक 21.06.2016 वादीगण के पक्ष में नामान्तरकरण खोला गया । उक्त नामान्तरकरण संख्या 1056 में पटवारी रिपोर्ट में स्पष्ट अंकित है कि, "मु0 निर्णय डिक्री उपखण्ड अधि0 महो0 कोटा के अनुसार खसरा नम्बर 50/1.27, 50/2.05, 151/0.48, 163/1.91, 1192/0.60 किता 05/5.31 है0 भूमि उक्त वादीगण के खातेदारी में दर्ज करने हेतु नामा0 आदेशार्थ पेश है ।" तथा भू–अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट में "मुताबिक रिकॉर्ड एवं रिपोर्ट पटवारी अंकन सही है मा0 एसडीओ कोटा के निर्णय की दिनांक 30.05.2016 की पालना में आदेशार्थ ।" अंकन है, जिसे दिनांक 21.06.2016 को हस्ताक्षरित कर 'स्वीकृत' किया गया है । इसी विवादित भूमि का विक्रय नामान्तरकरण संख्या 1059 दिनांक 24.06.2016 को खोला गया तथा दिनांक 24.06.2016 को ही तस्दीक किया गया । विवादित भूमि का पुनः विक्रय नामान्तरकरण संख्या 1065 दिनांक 20.07.2016 को खोला गया तथा दिनांक 27.07.2016 को तस्दीक किया गया । उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों से यह भली–भांति स्पष्ट है कि अपीलान्ट को समय पर निर्णय की जानकारी हो गई थी । अपीलान्ट द्वारा मियाद अधिनियम की धारा 05 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में दिनांक

20.07.2020 को प्रकरण की जानकारी होने का कथन विश्वसनीय तथा सद्भाविक नहीं है । उपुर्यक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि उक्त कथन गलत एवं आधारहीन है । प्रकरण को सर्वप्रथम परिसीमा अधिनियम के तहत मियाद के बिन्दु के संदर्भ पर निर्णित किया जाना है तथा मियाद के बिन्दु के संदर्भ में प्रथमदृष्टया गुणावगुण पर प्रकरण में स्वयं के पक्ष में विद्वान् अभिभाषक अपीलान्ट कोई ठोस दस्तावेज, साक्ष्य, राजकीय परिपत्र आदि पेश करने में असफल रहे । प्रथमदृष्टया अपील मीमो में चाहे गये अनुतोष के सम्बन्ध में अपने पक्ष में अपीलान्ट कोई ठोस दस्तावेज/परिपत्र बहस में न तो पेश किया और न ही उद्धृत किया । अतः प्रथमदृष्टया गुणावगुण के प्रश्न पर केवल मौखिक कथनों के आधार पर किसी व्यक्ति के खातेदारी अधिकार समाप्त नहीं किये जा सकते । दूसरी ओर प्रथमदृष्टया विद्वान् अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने कथन किया कि पर्याप्त दस्तावेजों एवं साक्ष्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने सम्पूर्ण विधिक विवेचन कर विधि अनुसार निर्णय पारित किया है । इस प्रकार पृथमदृष्टया गुणावगुण के आधार पर भी विलम्ब को माफ करने का अपीलान्ट ने कोई ठोस दस्तावेज या साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जिससे उनके इतने बडे विलम्ब की अवधि को माफ किया जा सके । परिसीमा अधिनियम पर दौराने बहस विद्वान् अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने पैरा संख्या 11 में उल्लेखित न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये हैं जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण अभिमत निम्न हैं :– विद्वान् अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत आरआरटी जनवरी, 2002 पेज 26 स्टेट ऑफ राजस्थान बनाम भीम सिंह व अन्य में राज्य सरकार द्वारा 372 दिन की देरी से अपील प्रस्तुत की गई, उक्त दृष्टांत माननीय उच्चतम न्यायालय सहित कई निर्णयों को रैफर करते हुए विवेचन किया गया है । प्रकरण में माननीय न्यायालय का अभिमत है कि, Limitation Act, Section 5 – Difference of opinion of two Members- referred to third Member- Condonation of delasy- Held, reasons of delay in filing appeal was not dealt with in the application filed u/.s 5, Limitation Act, but some reasons mentioned in the enclosed affidavit which are not satisfactory- Reason of delay in filing application for grtting certified copy not shown-delay cannot be condoned- Appeal, held hopelessly time barred.

इसी प्रकार आरआरटी 2013 (2) पेज 887 में माननीय सर्वोच्य न्यायालय में अभिमत दिया है कि – Limitation Act, 1963-Sec. 5-Condonation of delay-Delay of more than one year in filing revision-District Judge condoned the delay-Propriety-Merely because the State is the appellant or revisionist , delay cannot be condoned- No sufficient cause explained- No Justification in condoning the delay in filing revision-Held, Order set aside.

आरआरटी 2014 (2) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिमत दिया है कि– Limitation Act, 1963-Sec. 5-Condonation of delay-Delay of 481 days in filing SLP-Ground taken that the delay occurred on account of movement of file from one department/Officer to the other-No sufficient & cogent reason_Held, No case made out for condonation of delay. प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों में दिये गये अभिमत प्रस्तुत प्रकरण पर चस्पा होते हैं । इसके अलावा रेस्पोडेन्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अन्य न्यायिक दृष्टांत भी पेश किये । विद्वान् अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा हमारे समक्ष दौराने बहस उक्त न्यायिक दृष्टांतों के खण्डन में कोई न्यायिक दृष्टांत/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया ।

13. अतः पैरा नम्बर 12 में तथ्यों एवं विधि के विवेचन व विश्लेषण से स्पष्ट रूप से साबित है कि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील 1514 दिवस (04 वर्ष से अधिक) के विलम्ब से प्रस्तुत की गई है तथा अपील गंभीर रूप से अवधि बाधित है । परिसीमा अधिनियम के तहत धारा 05 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में 04 वर्ष से अधिक गंभीर विलम्ब का कोई 'पर्याप्त कारण' सिद्ध करने में अपीलान्ट असफल रहे । अपीलान्ट को प्रारम्भ से ही प्रश्नगत निर्णय एवं डिक्री की जानकारी थी । अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत धारा 05 परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं है । चूँकि प्रस्तुत अपील गंभीर रूप से अवधि बाधित (hopelessly time barred) है तथा लिमिटेशन एक्ट की धारा 05 के तहत अपीलान्ट द्वारा विलम्ब माफी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं है, ऐसी दशा में प्रकरण में आगे और गुणावगुण पर विवेचन विश्लेषण व निर्णय करने की आवश्यकता नहीं है ।

14. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट गंभीर रूप से अवधि बाधित होने से खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.05.2016 बहाल रखा जाता है ।

15. निर्णय आज दिनांक 18.01.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

Judl.Ref. Part 11-B

अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास मनोज कुमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 2020/89

स्टेट ऑफ राज0 सरकार जरिये तहसीलदार तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

—अपीलान्ट

बनाम

1. बाबू उर्फ कालू पुत्र स्व0 औंकार ।
2. धनराज पुत्र स्व0 मूलचन्द ।
3. रामकुंवार पुत्र स्व0 मूलचन्द ।
4. सीता बाई पुत्री स्व0 मूलचन्द ।
5. कमलेश मृतक जरिय कायममुकामान :—
   5/1. राहुल नाबालिग पुत्र
   5/2. ज्योति नाबालिग पुत्री जरिये वली पिता श्री पंकज कुमार ।
6. रामनाथी बाई बेवा मूलचन्द जाति बलाई निवासीगण ग्राम नान्ता तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
7. मीरा पत्नी छीतर लाल जाति मेघवाल निवासी ग्राम नान्ता तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
8. जगनी पत्नी गुलाब जाति बैरवा निवासी प्रेमनगर द्वितीय कोटा ।
9. हीरालाल आर्य पुत्र रामगोपाल जाति खटीक निवासी 811 कंचन जंगा अपार्टमेंट, बारां रोड बोरखेडा कोटा

—रेस्पोडेन्ट

बनाराजगी अंतिम निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.05.2016 परीक्षण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा, जिला कोटा ।

वाद संख्या: 142/2013

1. बाबू उर्फ कालू पुत्र औंकार ।
2. भरोसी बाई बेवा औंकार ।
3. धनराज पुत्र स्व0 मूलचन्द ।
4. रामकुंवार पुत्र स्व0 मूलचन्द ।

5. सीता बाई पुत्री स्व0 मूलचन्द ।
6. कमलेश पुत्री स्व0 मूलचन्द ।
7. रामनाथी बाई बेवा मूलचन्द जाति बलाई निवासीगण ग्राम नान्ता तहसील लाडपुरा जिला कोटा राजस्थान जरिये मुख्तार आम रघुनाथ पुत्र रामलाल जाति मेघवाल निवासी गोरधनपुरा फल उद्यान के पीछे, तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

– वादीगण

बनाम

स्टेट ऑफ राज0 सरकार जरिये तहसीलदार तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

–प्रतिवादी

अपील का ज्ञापन

1. **उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा, जिला कोटा द्वारा पारित अंतिम निर्णय व डिकी दिनांक 30.05.2016 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात** कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय व डिकी त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. उक्त अपील तारीख 18.01.2023 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से विद्वान् अभिभाषक श्री राजेन्द्र मालवीय, पैरोकार सरकार एवं रेस्पोडेन्ट कम 7 की ओर से अभिभाषक श्री घनश्याम नागर, तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 3 की ओर से अभिभाषक श्री हेमेन्द्र सिंह आसावत उपस्थित होने पर यह आदेश दिया कि अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील गंभीर रूप से अवधि बाधित होने के कारण खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय व डिकी दिनांक 30.05.2016 यथावत रखा जाता है।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है ।

यह डिकी आज तारीख 18.01.2023 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा